



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2010]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938

No. 2010]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/SRAVANA 20, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

का.आ. 2689(अ).—यतः दिल्ली मुख्य योजना-2021 में इसकी समीक्षा प्रक्रिया के भाग के रूप में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.12.2015 की का.आ.सं. 3529(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त हुई आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन भी प्रदान किया गया है।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

दि.मु.यो.-2021	
विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
तालिका 13.2: अस्पताल – अन्य नियंत्रण	तालिका 13.2: अस्पताल – अन्य नियंत्रण

5. प्रतीक्षा कक्ष, स्वागत कक्ष और सीढियों (फायर स्टेयर केस) जैसे सामान्य (कॉमन) क्षेत्रों को तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) से अलग रखने की अनुमति दी जाएगी।	5. निर्धारित एफ.ए.आर. के अधिकतम 10% को अलग रखा जाएगा, यदि उसका उपयोग प्रतीक्षा एवं स्वागत-कक्ष क्षेत्र के लिए किया गया हो। तथापि, इस क्षेत्र को मानदंडों के अनुसार अस्पताल पार्किंग के प्रावधान के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
---	---

[फा. सं. के-13011/13/2016-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2016

S.O. 2689(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3529 (E) dated 29.12.2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, setup by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

MPD-2021	
Existing Provisions	Proposed Modifications
Table 13.2: Hospital-Other Controls	Table 13.2: Hospital-Other Controls
5. Common area such as waiting halls, receptions and fire stair case shall be allowed free from FAR.	5. Maximum 10% of the achieved FAR shall be free if utilized for waiting & reception area. However, this area shall be taken into account for the provision of hospital parking as per norms.

[F. No. K-13011/13/2016-.DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.